न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 09/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भंवरलाल पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी माण्डलजोधा तहसील डेगाना जिला नागौर।		1नायब तहसीलदार, डेगाना। 2रामदेव पुत्र पूसाराम जाट जाति जाट निवासी माण्डलजोधा तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री डूंगरराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 12.03.20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 137/2018 सरकार बनाम भंवरलाल में निर्णय दिनांक 28.12.2018 के तहत मौजा माण्डलजोधा के खसरा नं. 238 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.01.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.02.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 137/18 सरकार बनाम भंवरलाल मे पारित निर्णय दिनांक 28.12.2018 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.19 की फोटोप्रति, पुराना नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, नया नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी रामदेव पुत्र पूसाराम जाट जाति जाट निवासी माण्डलजोधा तहसील डेगाना की ओर से एडवोकेट डूंगरराम चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-1, R-10 धारा 151 सीपीसी का दिनांक 14.02.2019 को पेश किया। जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 14.02.2019 को प्रार्थी रामदेव को रेस्पोडेन्ट सं. 2 पक्षकार रिकार्ड पर लिया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–नायब तहसीलदार डेगाना के संबंध मे जब यह स्थिति स्पष्ट कर दी गयी कि उक्त जमीन के संबंध मे सक्षम सिविल न्यायालय व उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे दावे व कार्यवाहियां विचाराधीन है तथा उनमे तहसीलदार डेगाना पक्षकार है व उनका अंतिम निस्तारण नही हुआ है। वैसी सूरत मे ऐसा निर्णय उसी विवादित आराजी के संबंध मे पारित करने का नायब तहसीलदार को कोई अधिकार नही था। न है। इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार ने सभी विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुए निर्णय जैर अपील पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

{2}(III)–गांव माण्डलजोधा मे पुराने समय मे कटाणी रास्ता अपीलांट के परिवार के खेत खसरा नं. 179 के चिपता दक्षिणी तरफ चलता था। कटाणी रास्ते को छोड कर अपीलांट के खेत मे से अवैध रूप से बिना मुआवजा दिये बिना भूमि अधिग्रहण किये सडक बनाकर अपीलांट के खेत की करीब 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि कम कर दी व शेष भूमि 15 बीघा 7 बिस्वा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर ली गई, इस संबंध मे अपीलांट को उक्त सिविल वाद व उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे कार्यवाही करनी पडी है व सिविल न्यायालय द्वारा मौका कमीश्नर नियुक्त किया। उक्त सडक के दक्षिणी मे चिपते ही किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है तथा कई लोगो के बाडे समानान्तरण बने हुए है। ऐसी सूरत मे केवल अपीलांट के विरूद्व मिथ्या

न्यायालय अपर कलक्टर नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

नोटिस देकर कार्यवाही करवाना विधि सम्मत नही है तथा मौके पर किसी भी सरकारी भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा अतिक्रमण नही होते हुए भी पटवारी ने केवल मात्र गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी व वैमनस्यता के कारण अपीलांट के विरूद्व मिथ्या अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी व नायब तहसीलदार के समक्ष उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद उन्होने अपने स्वयं के स्तर पर कोई मौका जांच किये बिना ही पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण घोषित कर निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

{2}(IV)–अपीलांट के विरूद्व पूर्व मे कोई विधिवत बेदखली की कार्यवाही नही हुई है। इसलिये पश्चातवर्ती अतिक्रमण न मानकर निर्णय पारित करने मे भारी त्रुटि की है। अपीलांट विशेष के विरूद्व पूर्व मे कब कार्यवाही हुई, उसके क्या मुकदमा नंबर है, उसमे कब बेदखली की गयी व बेदखली की फर्द वगैरा की तारीख, तिथि मिति आदि का कोई अंकन नही है। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्व पूर्व की कोई बेदखली नही होते हुए भी उसे पश्चावर्ती अतिक्रमी घोषित कर सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

{2}(V)–जहां पर पक्की सडक चल रही है। वहां पर किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करना बताकर उसके विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट करना पटवारी की बदनियति है। क्योकि जब मौके पर सडक चल रही है तो रास्ता स्थित होना व उस पर अतिक्रमण करना कतई माने जाने योग्य नही है।

{2}(VI)–अपीलांट का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा अतिक्रमण मौके पर न तो था, न है। पुराना खातेदारी सुदा भूमि पर उसका कब्जा रहता चला आया है व उसके विरूद्व पूर्व मे कोई बेदखली की कार्यवाही नही हुई है। केवल मात्र उनकी खातेदारी भूमि मे अवैध रूप से सडक निर्माण कर लेने के संबंध मे सिविल न्यायालय मे राज्य सरकार के विरूद्व कार्यवाही करने से नाराज होकर दबाव बनाने के लिये यह मिथ्या बेदखली व सिविल कारावास का निर्णय पारित किया गया है।

{2}(VII)–उक्त सडक के दक्षिणी तरफ एक ही सीध मे जो बाडे काश्तकारो के बने हुए है। उनके चिपते ही दक्षिण मे जिनका खेत आया हुआ है। वे सडक के चिपता आना चाहते है। इसलिये पटवारी से सांठ गांठ कर यह मिथ्या कार्यवाही करवायी गयी है। इन सभी परिस्थतियो मे निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व व निरंकुश निर्णय की तारीफ मे आने से निरस्तनीय है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि आराजी भूमि पर अपीलांट व उसके परिवार के भंवरलाल, बुधाराम आदि ने नाजायज अतिक्रमण कर रेस्पोडेन्ट के खेत का रास्ता बंद कर दिया। तब इनके विरूद्व मुकदमा सं. 391/2017 मे अतिक्रमण मानकर नाजायज कब्जा हटाने व सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया। तब भंवरलाल तथा बुधाराम ने कब्जा हटा लेने का शपथ पत्र भी दिया था तथा पटवारी हल्का की तस्दीक के बाद मे भंवरलाल व बुधाराम ने अपने ही लोगो द्वारा जानबूझकर दुबारा कर लिया। जिसकी शिकायत होने पर आदेश जैर अपील पारित हुआ है। उक्त भूमि सरकारी सार्वजनिक रास्ते की भूमि है। जो रेस्पोडेन्ट व दीगर ग्रामीण लोगो के सार्वजनिक उपयोग मे काम आती रही है। इसलिये आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से उसे यथावत रखा जाना चाहिये।

{4}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा माण्डलजोधा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके माण्डलजोधा के खसरा नंबर 238 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलांट भंवरलाल ने न्यायालय नायब तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 380/17 से 385/17 मे दर्ज अतिक्रमियों के स्थान पर भंवरलाल उर्फ भूराराम ने फर्द मौका जांच दिनांक 07.04.17 को उक्त प्रकरण के अतिक्रमियों के स्थान पर स्वयं अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। जिससे भी पुनः अतिक्रमण होना साबित है। अतिक्रमण की पुनरावृति पटवारी के बयान से भी साबित करवायी गयी है तथा अपीलांट स्वयं ने भी अधीनस्थ न्यायालय मे अपने जवाब दिनांक 20.11.18 मे दिनांक 4.12.16 की बेदखली कार्यवाही के बाद पुनः कब्जा करना स्वीकार भी किया गया है। जिससे पश्चातवृति

अपर कलक्टर, नागौर

अतिक्रमण होना भी साबित है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर